01/09/2021 प्रार्थनी उपस्थित वादी अनुपस्थित
वकील वादी / वादी की ओर से प्रार्थना
पत्र पेश कर न्यायालय समक्ष के न्यायालय
समाप्ति तक अपनी समस्त सही वापस
वकील वादी / वादी उपस्थित नहीं हुए अतः
वाद वादी अशक्त होने अशक्त प्रतीत
होता है अतः प्रार्थी की प्रार्थना
स्वीकार की जाकर प्रकरण खारिज किया जाता है

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.10.28 15:59:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner